



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 सप्टेम्बर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक गुजरात राज्यना वडोदरामां आवेली मकरपुरा छन्डस्ट्रियल असेट को-ओपरेटिव बैंक लि. पर नाशाकीय दंड वाद्यो

भारतीय रिज़र्व बैंक 22 सप्टेम्बर 2025 ना आदेश द्वारा गुजरात राज्यना वडोदरामां आवेली मकरपुरा छन्डस्ट्रियल असेट को-ओपरेटिव बैंक लि. (बैंक) पर 'तमारा ग्राहकने ओणपो (केवायसी)' अने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंको माटे व्यापक सायबर सुरक्षा माणपुं - अक कृमिक अभिगम' नी साथे 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंको माटे पायानुं सायबर सुरक्षा माणपुं' ने वंयाणे वेतां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बडार पाडवामां आवेला निश्चित निर्देशोनुं बैंक द्वारा पालन न थवा बडल ₹2 लाख (रूपिया बे लाख पूरा) नी दंड वाद्यो छे. बैंकिंग नियमन धारो, 1949 नी कलम 46(4) (i) अने 56 नी साथे कलम 47 अे (1) (सी) नी जोगवाछओ वंयाणे वेतां भारतीय रिज़र्व बैंकने मणेव सत्तानी रूपे आ दंड वाद्यवामां आव्यो छे.

भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2024 ना रोज बैंकनी नाशाकीय स्थितिना संदर्भमां तेनुं वैधानिक निरीक्षण कर्युं छतुं. भारतीय रिज़र्व बैंकना निर्देशोनुं पालन न करवाना निरीक्षणीय तारणो अने तेने संबंघित पत्रव्यवहारना आधारे बैंकने अक नोटिस पाठववामां आवी छती जेमां उपरना निर्देशोनुं पालन करवामां निष्फणता बडल तेना पर दंड केम न वाद्यो ते सबब कारण जणाववानुं कडेवामां आव्युं छतुं. नोटिस अंगे बैंकनी जवाब अने व्यक्तिगत सुनावणी दरमियान तेना द्वारा करवामां आवेली मौखिक तेम ज अन्य अतिरिक्त रज्जुआतोने ध्यानमां लीधा बाड भारतीय रिज़र्व बैंकने अन्य बाबतोनी साथे बैंक सामे नीये मुजबना आरोप यथावत रडेता डोवानुं वागतां आ नाशाकीय दंड वाद्यवामां आव्यो छे:

बैंक

- केटवाक भाताओनी ओछामां ओछी छ मासमां अक वषत जोषम-वर्गीकरण (रिस्क केटेग्राइजेशन)नी सामयिक समीक्षा करवामां निष्फण रडी छती; अने
- आरबीआए द्वारा निर्धारित सायबर सुरक्षा माणपा डेठण योक्सस सायबर सुरक्षा नियंत्रण पगलां अमलमां मूकवामां निष्फण रडी छती.

सदर कार्यवाही नियामकीय पालनमां पामीओ पर आधारित छे अने तेनो हेतु बैंक द्वारा तेना ग्राहको साथे करवामां आवेला कोछ पण व्यवहार अथवा करारनी कायदेसरता बाबते कोछ अभिप्राय आपवानो नथी. वधुमां, आ नाशाकीय दंड वाद्यवाथी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक सामे करवामां आवी शके तेवी अन्य कोछ पण कार्यवाही पर कोछ प्रतिकूल असर नडी पडे.

प्रेस जाडेरत: 2025-26/1171

(पुनीत पंयोवी)
मुप्य मडोप्रबंधक